



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5073]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2018/पौष 5, 1940

No. 5073]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018/PAUSHA 5, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

**का. आ. 6313(अ).**—जबकि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) का अधिनियमन व्यक्तियों तथा संगठनों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को अधिक प्रभावी तरीके से रोकने के लिए तथा आतंकवादी गतिविधियों तथा उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए किया गया है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (एम) के अनुसार, 'आतंकवादी संगठन' का तात्पर्य उक्त अधिनियम की प्रथम सूची में सूचीबद्ध किसी संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध किसी ऐसे संगठन से है जो उसी नाम के अंतर्गत संगठन चला रहा हो;

और जबकि, उक्त अधिनियम की प्रथम सूची में इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों की सूची दी गई है;

और जबकि, 'खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (जिसे इसके आगे केएलएफ कहा गया है)' हिंसापूर्ण तरीकों से भारत गणराज्य से पंजाब राज्य को अलग करके स्वतंत्र खालिस्तान राज्य बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में अस्तित्व में आया था;

और जबकि, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत में निर्दोष लोगों/पुलिस अधिकारियों की हत्या, सिविलियन लक्ष्यों पर अनेक बम विस्फोट करने, जबरन उगाही, अपहरण, बैंक डकैती आदि के माध्यम से आतंकवादी कार्यों के लिए निधियां जुटाने और महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारियों की हत्या के प्रयासों में संलिप्त था;

और जबकि, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है तथा वह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को अतिवादी बनाने और उनकी भर्ती करने में लगा हुआ है;

और जबकि, पंजाब राज्य पुलिस द्वारा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के पांच सदस्यीय मॉड्यूल को विफल किया गया था जिसकी वजह से नाभा, पंजाब में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (आईईडी) लगाए जाने से संबंधित दो मामलों को सुलझाया जा सका;

और जबकि, पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के एक अन्य मॉड्यूल को विफल किया गया था और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चार ऐसे आतंकवादियों को अवैध हथियारों एवं गोलाबारूद के साथ गिरफ्तार किया गया जो किसी विशेष राजनैतिक दल के पठानकोट में रहने वाले नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे;

और जबकि, पंजाब राज्य में अमृतसर जिला पुलिस द्वारा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के एक अन्य मॉड्यूल को विफल किया गया था और के एल एफ के उन तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया जो किसी विशेष समुदाय के प्रमुख सदस्यों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे ताकि पंजाब राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को भंग किया जा सके;

और जबकि, पंजाब राज्य में जालंधर जिला पुलिस ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स /खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चार सदस्यीय मॉड्यूल को विफल कर दिया तथा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखिया को अवैध हथियारों एवं गोलाबारूद के साथ दिनांक 07 नवंबर, 2014 को गिरफ्तार कर लिया;

और जबकि, सुरक्षा एजेंसियों ने 2017 में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के एक ऐसे मॉड्यूल को विफल कर दिया जिसने पंजाब राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को अस्थिर करने तथा पंजाब राज्य में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से भारत में विशिष्ट समुदाय एवं संगठनों के व्यक्तियों की हत्या करने या हत्या के प्रयास संबंधी आठ घटनाओं को अंजाम दिया था;

और जबकि, भारत में इस उग्रवादी समूह के सदस्यों को विदेश स्थित उनके संचालकों से वित्तीय एवं सभार तंत्र संबंधी सहायता प्राप्त हो रही है;

और जबकि, केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि 'खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ)' आतंकवाद की घटनाओं में संलिप्त है क्योंकि इसने भारत में विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है तथा उनमें सहभागी रहा है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है:-

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, क्रम संख्या 39 के पश्चात् और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, नामतः :—

“40. खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इसके सभी रूप।”

[फा. सं. 11034/13/2018-सीटी-।]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

**नोट :** विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची को पिछली बार भारत सरकार की दिनांक 19.06.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2947 (अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2018

**S.O. 6313(E).**—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, the 'Khalistan Liberation Force' (hereinafter referred as KLF) came into existence in the year 1986 with the objective of establishing an independent State of Khalistan by secession of the State of Punjab from the Republic of India through violent means;

And whereas, the KLF was engaged in killing of innocent persons and police officers, several bombings on civilian targets in India, collection of funds for terror activities through extortion, kidnappings, bank robberies etc., and assassination attempts of important Government functionaries;

And whereas, the KLF has committed acts of terrorism and promoting acts of terrorism and has been engaged in radicalisation and recruitment of youth for terrorist activities in India;

And whereas, a five member KLF module was busted by the Police of the State of Punjab, which resulted in working out the two cases relating to planting of Improvised Explosive Devices (IEDs) in Nabha, Punjab;

And whereas, another KLF module was busted in Gurudaspur District of the State of Punjab and four terrorists of KLF were arrested with illegal arms and ammunitions, who were planning to target Pathankot based leaders of a particular Political Party;

And whereas, another KLF module was busted by Amritsar District Police in the State of Punjab and three KLF terrorists were arrested, who were planning to target prominent members of a particular community, so as to disrupt the communal harmony in the State of Punjab;

And whereas, the Jalandhar District Police in the State of Punjab busted a KLF/ Khalistan Zindabad Force module of four members and arrested the Chief of KLF along with illegal arms and ammunition on 7th November, 2014;

And whereas, the security agencies busted a KLF module in the year 2017, which carried out a series of eight incidents of killings or attempted killings of specific communities and organisations in India in order to destabilise the law and order situation and reviving terrorism in the State of Punjab;

And whereas, the members of this militant group in India are getting financial and logistic support from their handlers based abroad;

And whereas, the Central Government believes that the 'Khalistan Liberation Force (KLF)' is involved in terrorism as it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, after serial number 39 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“40. The Khalistan Liberation Force and all its manifestations.”.

[F.No. 11034/13/2018-CT-I]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

**Note:-** The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide notification of the Government of India number S.O. 2947(E) dated the 19th June, 2018.